84
15

बिहार स्टेट फुड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि0:

खाद्य भवन, दारोगा राय पथ आर0 ब्लॉक रोड नं0-2 पटना-800001

पत्रांक- नि010:04:22:01:16- 2491 दिनांक- 16-03-2017

प्रेषक,

पंकज कुमार, भा0प्र0से0,
प्रबंध निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला प्रबंधक,
राज्य खाद्य निगम,
बिहार ।

विषय- निगम मुख्यालय के आदेशानुसार गोदामों का निरीक्षण/जॉच नहीं करने के कारण गोदाम प्रभारी द्वारा गोदामों में खाद्यान्नों का अत्यधिक मात्रा में गवन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक निगम मुख्यालय के पत्रांक 10901 दिनांक 14.12.10 एवं 6929 दिनांक 06.6.16 द्वारा जिला कार्यालय में अभिलेखों तथा विभिन्न पंजियों के संधारण हेतु दिशा निदेश निर्गत किया गया था। उक्त पत्र की कंडिका-8 में उल्लेख किया गया है कि जिला प्रबंधक प्रत्येक माह में कम से कम तीन गोदामों का भ्रमण कर गोदाम में भंडारित खाद्यान्नों का भौतिक सत्यापन (बोरों की गिनती कर) भंडार पंजी में दर्शायी गई अंतिम शेष की मात्रा से मिलान करते हुए भंडार पंजी पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक अगले माह में अन्य तीन गोदामों का भ्रमण उक्त प्रक्रिया पूरी करेंगे। इसके अतिरिक्त कंडिका-9 में उल्लेख किया गया है कि जिला कार्यालय स्तर पर संधारित होने वाली पंजियाँ यथा- कैश बुक, लेजर, बैंक ड्राफ्ट पंजी, चेक निर्गत पंजी, भंडार निर्गमादेश पंजी, बैंक स्टेटमेन्ट एवं बैंक सामाधान विवरणी का संधारण नियमानुसार स-समय सुनिश्चित करेंगे। उक्त उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करने पर अथवा शिथिलता वर्ते जाने की स्थिति में किसी प्रकार की गवन/क्षति एवं अन्य अनियमितताओं के लिए संबंधित कर्मचारियों के अतिरिक्त जिला प्रबंधक/सहायक लेखा पदाधिकारी को भी संयुक्त रूप से जिम्मेवार माने जाने का निदेश दिया गया है।

निगम मुख्यालय को प्राप्त सूचनानुसार निगम के लगभग सभी जिलों में गोदामों के भंडारण में खाद्यान्न की कमी प्रतिवेदित हो रही है। गोदाम प्रभारी का एक जिले से दुसरे जिले में स्थानान्तरण होने, सेवा निवृत होने अथवा पैतृक विभाग में सेवा वापस हो जाने की स्थिति में उनके द्वारा संबंधित गोदामों का गोदाम पंजी का प्रभार नहीं देने के कारण क्षति/गवन एवं अन्य अनियमिततायें स-समय प्रकाश में नहीं आ पाता है तथा संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा भी इस अनियमितताओं को दवाकर रखा जाता है तथा बाद में उजागर होने पर कार्रवाई तथ्यहीन हो जाता है।

उपरोक्त के आलोक में निदेशित किया जाता है कि सभी जिला प्रबंधक निगम मुख्यालय के पत्रांक 10901 दिनांक 14.12.10 एवं 6929 दिनांक 06.6.16 द्वारा दिये गये निदेश का अक्षरशः पालन करें। निगम के किसी भी गोदाम में गोदाम प्रभारी द्वारा यदि खाद्धान्नों एवं सी0एम0आर0 का गवन किया जाता है अथवा सम्पूर्ण अभिलेखों का प्रभार नहीं दिया जाता है, तो उनके विरुद्ध संबंधित थाना में अविलम्ब प्राथमिकी दर्ज करें तथा निलाम पत्र पदाधिकारी के समक्ष निलाम पत्रवाद दायर करें। उक्त निदेश का अक्षरशः अनुपालन नहीं करने की स्थिति में आपकी सहभागिता मानते हुए आपके विरुद्ध प्रशासनिक एवं अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

इसे अत्यावश्यक समझें।

विश्वासभाजन,
ह0/-
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- नि010:04:22:01:16- दिनांक-

प्रतिलिपि सभी प्रमुख/सभी उप प्रमुख/कम्पनी सचिव/कम्प्यूटर शाखा एवं गोपनीय शाखा, मुख्यालय को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
प्रबंध निदेशक।

ज्ञापांक- नि010:04:22:01:16- 2491 दिनांक- 16/03/17

प्रतिलिपि सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गोदामों का निरीक्षण एवं सत्यापन जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकायों से कराने की कृपा की जाय।

15/3/2017
प्रबंध निदेशक।